यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी के माह 04/2015 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री खुसी राम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.11.2017 19.12.2017 से 23.12.2017 तथा 03.01.2018 से 05.01.2018 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की यह प्रथम लेखा परीक्षा है।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः-

(अ) बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी का मुख्य कार्यकलाप जनपद में संचा लत बाल परियोजनाओं के संचालन में मुख्यालय द्वारा दिये गए निर्देशों/आदेशों का प्रभावी क्रयान्वयन एवं उ चत मार्गदर्शन।

(ब) बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी एवं इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं का भौगो लक क्षेत्र समस्त हरिद्वार के वकास खण्ड में स्थित है।

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत **(-)** समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	--	--	200.00	191.00	165.00	165.00	--	9.00
2016-17	--	--	218.00	198.00	157.00	157.00	--	20.00
2017-18 (up to Nov. 2017	--	--	142.00	81.00	150.00	64.00	--	147.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आ धक्य (+)	बचत/समर्पण (-)
2015-16	--	--	शून्य	--	--	
2016-17	--	--	शून्य	--	--	
2017-18 (up to Oct. 2017	--	--	शून्य	--	--	

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. निदेशक 3. डी,पी,ओ, 4. सी.डी.पी.ओ 5. सुपरवाइजर 6. आंगनवाड़ी कार्यकत्री 7. आंगनवाड़ी सहायिका

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 से 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **01: ₹ 4.24** लाख के अर्जित ब्याज की धनरा श को शासन को प्रे षत न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं॰ 99/ xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनरा श को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि कसी मद में ब्याज की धनरा श को व्यय कया जाना हो तो वत्त वभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनरा श को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनरा श की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी के योजनाओं के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया क वभाग को आबंटित धनरा श पर बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2015-16 से 2017-18 (अक्तूबर 2017 तक) की अव ध में प्राप्त ब्याज की रा श को 0049 में जमा न करने या धनरा श को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनरा श की मांग शासन से नहीं कए जाने से ब्याज की धनरा श रुपए 4,24,068.00 लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की रा श का ववरण निम्नानुसार है:-

क्र॰ सं॰	योजना का नाम	ब्याज की धनरा श
1	बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी	1,82,351.00
2	व भन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों में	2,41,717.00
कुल योग		**4,24,068.00**

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क बैंक में ब्याज की धनरा श प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा वभाग द्वारा ब्याज की धनरा श रूपये 4.24 लाख को शासन को वापस नहीं कया जा रहा था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया क उक्त वषय की जानकारी न होने के कारण ब्याज की धनरा श को जमा नहीं कया जा सका इकाई द्वारा उक्त धनरा श को जमा करवाने की शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क वभाग द्वारा दो वर्ष से अ धक का समय बीत जाने के पश्चात भी वभाग द्वारा शासन को धनरा श वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनरा श अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका वकास कार्यों पर उपयोग सुनिश्चित नहीं कया जा सका। अतः वभाग द्वारा रू॰ 4.24 लाख के अर्जित ब्याज की धनरा श को शासन को प्रे षत न कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01:** असम्यक योजना के असफल क्रयान्वयन तथा धनावंटन के आभाव मे लाभा र्थयों को **₹ 38.32** लाख टेक होम राशन का वतरण न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2084/XVII (4)/2014/129/06TC दिनांक 05.11.2014 द्वारा उत्तराखण्ड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास वभाग के अन्तर्गत संचा लत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति को प्रोत्साहित करने एवं आई० सी० डी० एस० सेवाओं मे पूर्ण जन सहभा गता सुनिश्चित करने हेतु वृद्ध महिलाओं (जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मल रहा हो) का सहयोग लए जाने एवं वृद्ध महिलाओं के सम्बंध मे सकारात्मक पारस्परिक पद्दतियों के द्वारा स्वास्थ एवं पोषण स्तर को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर सम्यक वचारोप्रांत मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना (शत-प्रतिशत राज्य योजना) संचा लत कए जाने का निर्णय लया गया था।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आगनबाड़ी केंद्र पर वृद्ध महिलाओं का समूह बनाया जाना था यह समूह आगनबाड़ी केन्द्रों मे दी जाने वाली सेवाओं मे सहयोग प्रदान करेगा। समूह के सदस्यों को आगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन (र ववार एवं अवकाश को छोड़कर) टेक होम राशन का प्रा वधान कया गया था जिसके लए प्रति सदस्य प्रतिमाह रुपए 150.00 का मानक निर्धारित था, (संशो धत मार्च 2015)।

बाल वकास परियोजना अ धकारी नरेन्द्र नगर, टिहरी के लेखा अ भलेखों के नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया क प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत नरेन्द्र नगर मे वत्तीय वर्ष 2016-17 मे कुल लाभा र्थयों की संख्या 2823 थी जिसके लए 150 रूपये प्रतिमाह की दर से वर्ष 2016-17 के लए रूपये 50,81,400.00 की धनरा श की आवश्यकता थी (संख्या 2823 x 150 x 12= 50,81,400.00), परन्तु इस वर्ष 10/2017 तक कोई बजट आवंटित नहीं हुआ था।

उपर्युक्त ववरण से स्पष्ट है क सरकार की असम्यक योजना के असफल क्रयान्वयन एवं आवश्यक धनरा श के आवंटन नहीं होने के कारण चयनित लाभा र्थयों को रूपये 38,31,600.00 (आवश्यक रा श ₹ 50,81,400.00 – व्यय रा श ₹ 12,49,800.00 = ₹ 38,31,600.00) के टेक होम राशन का वतरण नहीं कया गया था। परिणाम स्वरूप चयनित लाभार्थी योजना के लाभ से वं चत रहे और योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रही।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर वभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया क आंगनवाड़ी सर्वे के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2017-18 में 2823 लाभार्थी थे। शासन स्तर से बजट प्राप्त नहीं हो पाने के कारण योजना से संबन्धित लाभार्थी प्रभा वत रहे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क इकाई द्वारा वर्ष में एक बार बजट की मांग की गयी उसके पश्चात कोई मांग नहीं की गयी जिससे असम्यक योजना के असफल क्रयान्वयन तथा धनावंटन के आभाव मे लाभा र्थयों को रूपये 38.32 लाख के टेक होम राशन का वतरण नहीं कया गया परिणाम स्वरूप चयनित लाभार्थी योजना के लाभ से वं चत रहे और योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रही।

अतः असम्यक योजना के असफल क्रयान्वयन तथा धनावंटन के आभाव मे लाभा र्थयों को रूपये 38.32 लाख का टेक होम राशन का वतरण न कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **02:** वभागीय उदासीनता एवं धनावंटन के आभाव में **671** लाभा र्थयों को रूपये **100.65** लाख का भुगतान लम्बित रहना ।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अ भयान योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओं ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हों चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जी वत सन्तानें भी हों को दिया जाएगा योजना के अन्तर्गत आ र्थक सहायता के रूप में रूपये 15000/- की धनरा श तीन कश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम कश्त बा लका के अ भभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अ धकतम एक माह के अन्दर 5000/- की धनरा श A/c Payee चैक के माध्यम से कन्या के अ भभावक को प्रदान की जायेगी। शेष धनरा श रूपये 10,000/- एफ॰ डी॰ के माध्यम से बैंक में कन्या तथा उसके माता-पता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द् वतीय कश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पता के खाते मे E-transfer के माध्यम से रूपये 5000/- की धनरा श हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनरा श को पुनः 8 वर्षों की अव ध के लए एफ॰ डी॰ करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम कश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनरा श लाभार्थी बा लका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अ ववाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत आ र्थक सहायता हेतु यह शर्त भी थी क यदि बा लका की अपरिहार्य कारणों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो यह धनरा श राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

कार्यालय बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर टिहरी की नन्दा देवी योजना के नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया क योजना के अन्तर्गत सम्प्रेक्षा अव ध सतम्बर 2017 तक कुल प्राप्त 1200 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 529 लाभा र्थयों को ही उक्त योजना के अन्तर्गत रूपये 15000/- की दर से भुगतान कया गया, जब क लेखा परीक्षा (सतम्बर 2017) तक 671 लाभा र्थयों को रूपये 15000/- प्रति लाभार्थी की दर से रूपये 100.65 लाख का भुगतान कया जाना लम्बित था।

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क वभाग द्वारा इस योजना को सम्यक रूप से लागू न कए जाने के कारण 671 लाभार्थी इस योजना के लाभ से वं चत रहे, जो क असम्यक योजना के असफल क्रयान्वयन धोतक था।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर वभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया क धनरा श की मांग जिला कार्यक्रम कार्यालय टिहरी से की गयी थी कन्तु उन्हें निदेशालय से बजट प्राप्त न होने के कारण धनरा श का भुगतान नहीं हो सका।

वभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है वभागीय उदासीनता के कारण 671 लाभा र्थयों को योजना के अन्तर्गत मलने वाले लाभ से वं चत रहना पड़ा। अतः वभागीय उदासीनता धनावंटन के आभाव मे 671 लाभा र्थयों को रूपये 100.65 लाख का भुगतान लाबित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **03:** मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के सम्बंध मे।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास वभाग के अन्तर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचा लत योजनाओं का संचालन जिला कार्यक्रम अ धकारी एवं बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रो द्वारा कया जाता है। योजनाओं से संबन्धित धनरा श बाल वकास परियोजना अ धकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर आंगनवाडी कार्यकर्ता के बैंक खाते मे हस्तांतरित कया जाता है। संचा लत योजनाओ के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास परियोजना अ धकारी एवं सुपरवाइजर का होता है।

निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 196-97 दिनांक 21.5.2002 द्वारा आंगानवाड़ी केन्द्रो के निरीक्षण के सम्बंध मे दिशानिर्देश जारी कया गया था,उक्त के अनुसार वभाग के अंतर्गत संचा लत योजनाओं के अनुश्रवण हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी को माह 5 से 10 दिन, बाल वकास परियोजना अ धकारी को 10 से 15 दिन तथा मुख्य से वका को 15 से 20 दिन प्रति माह भ्रमण कया जाना अनिवार्य होगा।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर जनपद टिहरी के अन्तर्गत संचा लत योजनाओं एवं उसके निष्पादन हेतु नरेन्द्र नगर परियोजना कार्यालय हेतु बाल वकास परियोजना अ धकारी के 01 पद तथा सुपरवाइजर के 05 पद स्वीकृत हैं। जांच मे पाया गया की नरेन्द्र नगर परियोजना मे बाल वकास परियोजना अ धकारी का पद रिक्त था, तथा 05 सुपरवाइसर के पद के सापेक्ष 04 *पद* पर तैनाती थी शेष 01 पद रिक्त थे। 25 आंगनवाडी केन्द्रो पर एक सुपरवाइजर की तैनाती का प्रा वधान है, 225 केन्द्रो के सापेक्ष मात्र 04 सुपरवाइजर की तैनाती स्वतः प्रद र्शत करती है की एक सुपरवाइसर को औसतन 56 केन्द्रो के पर्यवेक्षण का दायितत्व था। एक सुपरवाइसर द्वारा एक माह मे, पहाड़ी क्षेत्र मे 56 आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कया जाना कसी भी दशा मे संभव नहीं था, इससे स्पष्ट है क आंगनवाड़ी केन्द्रों का हर माह निरीक्षण नहीं कया जा रहा था। बाल वकास परियोजना अ धकारी नरेंद्र नगर का कार्यभार अस्थायी रूप से बाल वकास परियोजना अ धकारी थत्यूड़ के पास था जो कभी कभी उपस्थित होती हैं तथा थत्यूड़ की दूरी नरेंद्र नगर से लगभग 160 कलोमीटर है। इसके अतिरिक्त जांच मे यह भी पाया गया की आंगनवाड़ी केन्द्रो की रोकडबही तथा बिल बाउचर के जांच एवं सत्यापन सुपरवाइसर अथवा बाल वकास परियोजना अ धकारी द्वारा नहीं कया जा रहा था।

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है की नरेन्द्र नगर परियोजना कार्यालय मे स्टाफ की कमी थी, आवश्यकतानुसार कर्मचरियों एवं अ धकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई भी प्रयास नहीं कया गया था। वभाग के अन्तर्गत संचा लत योजनाओं के अनुश्रवन एवं

मूल्यांकन तथा केन्द्रो का निरीक्षण निर्धारित मानको एवं प्रा वधानों के अंतर्गत नहीं कया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर इकाई ने अवगत कराया क बाल वकास परियोजना अ धकारी के द्वारा प्रति माह 10 से 15 केन्द्र निरीक्षण की व्यवस्था है बाल वकास परियोजना अ धकारी का पद रिक्त होने के कारण एवं सुपरवाइज़र के 01 पद रिक्त होने पर कार्यरत सुपरवाइजरों के माध्यम से ही कार्य लए जा रहे जिस कारण शतप्रतिशत जांच नहीं हो पाती है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क बाल वकास परियोजना अ धकारी के अन्तर्गत कार्यालय मे स्टाफ की भारी कमी थी, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों एवं अ धकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं कया गया था। वभाग के अन्तर्गत संचा लत योजनाओं के अनुश्रवन एवं मूल्यांकन निर्धारित मानको एवं प्रा वधानों के अंतर्गत नहीं कए जा रहे थे।

अतः मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
प्रथम लेखापरीक्षा			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री वक्रम संह	बाल वकास परियोजना अ धकारी	04/2015 से 28/04/16
2.	श्रीमती सुलेखा सहगल	बाल वकास परियोजना अ धकारी	29/04/16 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति बाल वकास परियोजना अ धकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी को इस आशय से प्रे षत कया गया क वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.